[2019] 5 एस. सी. आर. 535

पटू राजन

वी.

तमिल नाडु का राज्य

(आपराधिक अपील सं। 680-681 2009)

29 मार्च, 2019

[एन. वी. रमना, मोहन एम. शांतनागौदर,

इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: s.302-शिकायतकर्ता के पति का अपहरण और हत्या (पी. डब्ल्यू. आई.)-अभियोजन मामला वह था जिसमें अभियुक्त नं. 1 पी. डब्ल्यू. 1 को यह जानते हुए अपनी तीसरी पत्नी के रूप में लेना चाहता था कि वह पहले से ही पीड़ित-मृतक से शादी कर चुकी है और उसने मदद के साथ कई प्रयास किए।

पीडब्लूआई और उसके पति के बीच संबंधों को गंभीर बनाने के लिए अन्य अभियुक्त-घटना के दिन से पहले, मृतक और पीडब्लू1 का आरोपी नं. 1 लेकिन उसी दिन उसके गुर्गों को रिहा कर दिया गया जिसके लिए पीडब्लू1 द्वारा एक अलग शिकायत दर्ज की गई थी और अलग से मुकदमा चलाया गया था-अपहरण की इस घटना के बाद, आरोपी ने पीडब्लू1 के पति की हत्या कर दी ताकि बिना किसी बाधा के पीडब्लू1 से शादी कर सके-एस. एस. के तहत निचली अदालत द्वारा अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया। 364 , 304 भाग-I और 201-उच्च न्यायालय ने एस के तहत दोषसिद्धि को संशोधित किया। 304 भाग-I से एस के तहत एक। 302 - दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील आयोजित की गईः पीडब्लू-1 का विस्तृत बयान था

कैसे आरोपी नं। 1 वह उससे शादी करना चाहता था और कैसे वह अक्सर अनुचित अनुग्रह के माध्यम से उसे लुभाने की कोशिश करता था, अपराध में प्रत्येक अपीलार्थी की भूमिका, आखिरी बार देखी गई परिस्थिति के साथ-साथ मृतक और उसके मृत शरीर की व्यक्तिगत वस्तुओं की पहचान -

पीडब्लूआई के साक्ष्य का पूरी तरह से समर्थन पीडब्लू1 की मां पीडब्लू2 के साक्ष्य द्वारा किया गया था-जो आरोपी नं. 6 , पुनर्प्राप्ति बटुए में पीडब्लू1, सोने की चेन आदि की तस्वीर थी।

अभियुक्त सं. के घर से प्रभावित। 6 और पीडब्लू1 और उसके परिवार द्वारा मृतक से संबंधित होने के रूप में पहचाना गया-आरोपी नं. 2 और पीडब्लू1, उसके परिवार के साथ-साथ अभियुक्त द्वारा उसके पति के रूप में शव की पहचान, तस्वीरों के आधार पर, मृतक के कपड़े और सामान और उसके निशान उचित संदेह से परे साबित हुए-अपराध करने के उद्देश्य, अंतिम देखी गई परिस्थिति और वसूली के साथ-साथ पीडब्लू1 और 2 के साक्ष्य।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मृत शरीर की पहचान अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप थी-अधिरोपण परीक्षण ने शरीर की पहचान के संबंध में पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य को मजबूत किया-इसलिए, दोषसिद्धि में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था -

साक्ष्य-परिवेशीय साक्ष्य। प्रथम सूचना रिपोर्टः अभियुक्त की याचिका-अपीलार्थी कि एक ही घटना के संबंध में दूसरी प्राथमिकी नहीं हो सकती है और वह

एफ. आई. आर. में दर्ज हत्या की घटना केवल अपहरण के पहले के अपराध की निरंतरता थी जिसने एफ. आई. आर. के अनुसार कार्यवाही शुरू की थी-आयोजितः याचिका स्थायी नहीं है-इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरी प्राथमिकी से उत्पन्न होने वाले मामले की जांच, यदि एक अलग लेनदेन से संबंधित है, तो 'आगे की जांच' खंड के तहत पिछली प्राथमिकी के साथ नहीं की जा सकती है, जैसा कि नीचे विचार किया गया है। एसएस। 8 से एस। 173 तत्काल मामले में, दोनों घटनाओं की घटना का समय और स्थान अलग-अलग था-यहां तक कि घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की संख्या भी अलग-अलग थी-घटनाओं के क्रम से कार्रवाई की कोई निरंतरता नहीं थी-पहला अपराध मृतक का अपहरण करने के इरादे से किया गया था और पीडब्लू1, जिसका उद्देश्य केवल उन्हें धमकी देना और दबाव डालना था-इसके विपरीत, दूसरे अपराध के पीछे का इरादा मृतक की हत्या करना था ताकि उससे स्थायी रूप से छुटकारा पाया जा सके-इसलिए, दोनों अपराधों के बीच उद्देश्य और साजिश की एकता भी अनुपस्थित थी इसलिए, हत्या की घटना पूरी तरह से अलग और अपहरण की पिछली घटना से अलग थी।

– आगे की जांच, जैसा कि एस. एस. के तहत परिकल्पना की गई है। 8 एस. 173 आई. डी. 1 की धारा, मामले की जांच को पहले की जांच की निरंतरता में दर्शाती है, जिसके संबंध में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है-यदि पहले की जांच के दौरान कोई नया अपराध किया जाता है, जो जांच किए जा रहे अपराध से अलग है, तो ऐसे नए अपराध की जांच लंबित मामले के हिस्से के रूप में नहीं की जा सकती है, और इसके बजाय नए सिरे से जांच की जानी चाहिए। इसलिए, इस मामले में दर्ज की गई अलग से पहली जानकारी न्यायसंगत, कानूनी और उचित है।

दंड संहिता, 1860 - s.302-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.173 (8)-जाँच।

प्रमाणः परिस्थितिजन्य साक्ष्य-की विश्वसनीयता-आयोजितः

वास्तविक घटना के चित्रण को व्यक्त करने में मानव एजेंसी त्रुटिपूर्ण हो सकती है, लेकिन परिस्थितियाँ विफल नहीं हो सकती हैं या उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की जाने वाली परिस्थितियाँ पटू राजन बनाम की होनी चाहिए।

तमिलनाडु राज्य

निर्णायक प्रकृति और उन्हें ऐसा होना चाहिए कि वे एक-दूसरे को अलग कर दें

अभियुक्त के अपराध के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर-परिस्थितियों को इतना पूर्ण साबित करने वाले साक्ष्यों की एक श्रृंखला होनी चाहिए ताकि अभियुक्त की बेगुनाही के निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़ा जा सके-परिवेशी साक्ष्य-दंड संहिता, 1860 - s.302।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: एस. 45-विशेषज्ञ साक्ष्य-डी. एन. ए. साक्ष्य साक्ष्य मूल्य-आयोजितः डी. एन. ए. प्रमाण प्रकृति में है

एस में परिकल्पित राय साक्ष्य। 45 साक्ष्य अधिनियम

निस्संदेह, न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने वाला विशेषज्ञ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से क्योंकि राय साक्ष्य का पूरा उद्देश्य और उद्देश्य विदेशी कानून, विज्ञान, कला आदि से संबंधित प्रश्नों पर अपनी राय बनाने में न्यायालय की सहायता करना है, जिस पर न्यायालय के पास अपनी राय बनाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता नहीं हो सकती है-आपराधिक मामलों में, ऐसे प्रश्न निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित हो सकते हैं -

बेलिस्टिक, फिंगरप्रिंट मिलान, हस्तलेखन तुलना, और यहां तक कि डी. एन. ए. परीक्षण या अधिरोपण तकनीक-निस्संदेह, यह एक विशेषज्ञ गवाह का कर्तव्य है कि वह अपनी विशेषज्ञता के आधार पर अपने कारणों के साथ प्रासंगिक रिपोर्ट प्रस्तुत करके अदालत की प्रभावी ढंग से सहायता करे, ताकि अदालत उचित निष्कर्ष पर आने के लिए विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत ऐसी सामग्री और कारणों का आकलन करके अपना स्वतंत्र निर्णय दे सके।

साक्ष्य प्रकृति में सलाहकार है, और न्यायालय विशेषज्ञों के साक्ष्य-डी. एन. ए. साक्ष्य से बाध्य नहीं है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: एस. 45-मृतक की पहचान करने के लिए किया गया अधिरोपण परीक्षण-आयोजित का साक्ष्य मूल्यः द.

अधिरोपण पर साक्ष्य भी विशेषज्ञों की राय पर आधारित है-एक अधिरोपण परीक्षण को मृत शरीर की पहचान के लिए निर्णायक के रूप में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यह अपने आप में नहीं भी हो सकता है।

निर्णायक रूप से पहचान स्थापित करें-तत्काल मामले में, उच्च

न्यायालय ने इस पहलू पर विशेषज्ञ गवाही को स्वीकार किया क्योंकि

अधिरोपण परीक्षण केवल साक्ष्य का एक टुकड़ा था जिस पर अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को मजबूत करने के लिए पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए भरोसा किया था-इसके अलावा, यह पीडब्लू 34 की गवाही से स्पष्ट था, जिसने अधिरोपण परीक्षण किया था, कि परीक्षण तीन अलग-अलग तरीकों का उपयोग करके किया गया था, यानी वीडियो अधिरोपण, दृश्य अवलोकन और दंत विशेषता अधिरोपण इसलिए, पीडब्लू 34 के वैज्ञानिक साक्ष्य को सही माना गया था [2019] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा, और शव की पहचान के संबंध में पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य को मजबूत किया-हालांकि एक डी. एन. ए. परीक्षण से अदालतों को मृतक के शरीर की पहचान की विश्वसनीयता निर्धारित करने में काफी मदद मिली होगी, इस पहलू पर अभियोजन पक्ष के पक्ष में रिकॉर्ड पर अन्य विश्वसनीय साक्ष्य की उपस्थिति में, यह तर्क कि डी. एन. ए. परीक्षण का संचालन न करना और साक्ष्य पर निर्भरता

अधिरोपण के माध्यम से पहचान के संबंध में अनुचित है

अस्वीकृत-यह और भी अधिक सच है क्योंकि इस प्रभाव के लिए कोई सामग्री सामने नहीं आ रही थी कि मृतक के माता-पिता प्रासंगिक अवधि के दौरान जीवित थे, ताकि तुलनात्मक डी. एन. ए. परीक्षण किए जा सकें।

सुपरइम्पोजिशन टेस्ट।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. अपीलार्थियों के लिए यह तर्क कि हाथ में मामले में हत्या की घटना केवल पीडब्लू1 और मृतक के अपहरण से संबंधित पहले के अपराध की निरंतरता है।

और पीड़ितों के रिहा होने के तुरंत बाद उसी दिन पूरा किया गया था। उक्त घटना के संबंध में, पहली जानकारी पीडब्लू1 द्वारा दर्ज की गई थी। उक्त मामले की जांच के दौरान, आरोपी मृतक, पीडब्लू1 और उसके परिवार के सदस्यों को ले आया

तिरुनेलवेली तक। विचाराधीन अपराध दो दिनों के बाद किया गया था, जिसमें पीडब्लू1 और उसके पति को एक कार में ले जाया गया था, और आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 1 के निर्देश पर। 2 4, 6 और 7 ने मृतक को उससे अलग करके जबरन ले लिया।

दोनों अपराध भी अनुपस्थित थे। [पैरा 15] [550-एफ; 551-बी-डी, एफ] 1.2 मामले के तथ्यों और परिस्थितियों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि अपीलार्थियों द्वारा किए गए अपहरण का अपराध और हत्या का अपराध दो अलग-अलग और अलग-अलग अपराध थे, और इसलिए आगे की जांच का कोई सवाल ही नहीं है।

जाँच एजेंसी द्वारा अपहरण के अपराध में किया गया

हत्या के अपराध से संबंधित जो इस दौरान किया गया था अपहरण से संबंधित जाँच का निर्वाह।

आगे पटू राजन बनाम। तमिलनाडु राज्य

धारा 173 की उप-धारा 8 के तहत परिकल्पित जांच

Cr.P.C का अर्थ है कि मामले की जांच पहले की जांच की निरंतरता में की जाती है, जिसके संबंध में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। यदि पूर्व जांच के दौरान कोई नया अपराध किया जाता है, जो जांच किए जा रहे अपराध से अलग है, तो ऐसा नया अपराध नहीं किया जा सकता है।

लंबित मामले के हिस्से के रूप में जांच की गई, और इसके बजाय होना चाहिए नए सिरे से जांच की। इस मामले में दर्ज की गई अलग से पहली जानकारी न्यायसंगत, कानूनी और उचित है। [पारस 18,20] [554-ए-सी; 556-ए]

अवधेश कुमार झा बनाम। बिहार राज्य (2016) 3 एससीसी 8; ए. पी. बनाम राज्य चीमलपति गणेश्वर राव [1964] 3 एस. सी. आर. 297; टी. टी. एंटनी बनाम केरल राज्य (2001) 6 एससीसी 181: [2001] 3 एस. सी. आर. 942; रमेशचंद्र नंदलाल

पारिख वी। गुजरात राज्य (2006) 1 एस. सी. सी. 732; निर्मल सिंह काहलों बनाम। पंजाब राज्य (2009) 1 एससीसी 441: [2008] 14 एस. सी. आर. 1049; बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य (2010) 12 एससीसी 254: [2010] 10 एस. सी. आर. 651-निर्भर।

2.1 तत्काल मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था और पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में, न्यायाधीश को निर्णय लेते समय

प्रमुख ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य, न्यायालय को देखने की आवश्यकता नहीं है अभियुक्त के अपराध की पुष्टि करने से पहले। पीडब्लू-1 ने विस्तार से बताया कि कैसे आरोपी नंबर 1 उससे शादी करना चाहता था और कैसे वह अक्सर अनुचित अनुग्रह के माध्यम से उसे लुभाने की कोशिश करता था। उसने अपराध में प्रत्येक अपीलार्थी की भूमिका के बारे में सावधानीपूर्वक बयान दिया। जिरह में, उसने यह बयान देते हुए पहली जानकारी दर्ज करने में देरी के बारे में भी बताया कि वह 20.11.2001 के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं कर सकी, हालांकि उसके पति का 26.10.2001 पर अपहरण कर लिया गया था क्योंकि वह आरोपी नंबर 1 और उसके गुर्गों की लगातार निगरानी में थी और केवल 06.11.2011 के बाद ही खुद को मुक्त कर सकती थी। इसके अलावा, पहली घटना में (अपहरण की घटना होने के कारण), उसके पति को आरोपी नंबर 1 द्वारा बख्शा गया था, और बाद के अवसर पर भी, उसे आरोपी नंबर 2 द्वारा बख्शा गया था। इस प्रकार, उसे उम्मीद थी कि उसका पति इस अवसर [2019] 5 एस. सी. आर. पर भाग जाएगा।

साथ ही। हालाँकि पी. डब्ल्यू. 1 की विस्तार से जांच की गई थी, लेकिन बचाव पक्ष भौतिक विवरणों पर उसके साक्ष्य को बदनाम नहीं कर सका। बचाव पक्ष द्वारा बताए गए मामूली बदलावों ने न तो अभियोजन पक्ष के संस्करण को प्रभावित किया और न ही पीडब्लू1 के साक्ष्य को पूरी तरह से। [पैरा 22,24] [556-डी-एफ; 558-जी-एच; 559-ए-डी]

2.2 पीडब्लू1 ने उद्देश्य के पहलू, अंतिम देखी गई परिस्थिति के साथ-साथ व्यक्तिगत की पहचान के बारे में बयान दिया

मृतक की संपत्ति और उसके मृत शरीर। वह गवाह थी जिसने मृतक को उसकी मृत्यु से पहले आखिरी बार आरोपी के साथ देखा था। पीडब्लू1 का साक्ष्य पूरी तरह से समर्थित था।

पीडब्लू2 के साक्ष्य द्वारा, पीडब्लू1 की माँ। [पैरा 25,26]

3. तहसीलदार के कार्यालय में कार्यरत ग्राम प्रशासनिक अधिकारी पीडब्लू 7 की गवाही भी प्रासंगिक है और

महत्वपूर्ण है। उसकी उपस्थिति में, अभियुक्त संख्या 2 ने स्वीकार किया

पुलिस निरीक्षक, कि अगर कोडाइकनाल ले जाया जाता है, तो वह टाइगर-चोल में वह स्थान दिखाएगा जहाँ पीडब्लू के पति का शव फेंका गया था। तदनुसार, अभियुक्त संख्या 2 को उक्त स्थान पर ले जाया गया और उसने शव को ठिकाने लगाने की जगह की ओर इशारा किया, और मृत व्यक्ति के शव की पहचान भी की।

पुलिस के पास उपलब्ध तस्वीरें। पी. डब्ल्यू. 7 की प्रतिपरीक्षा से बचाव के पक्ष में विचार करने योग्य कुछ भी सामग्री नहीं निकाली गई थी। [पैरा 27] [560-ई-जी; 561-ए] 4. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि पुलिस हिरासत में आरोपी द्वारा किया गया स्वीकारोक्ति एक अस्वीकार्य स्वीकारोक्ति है। द.

पुलिस की उपस्थिति के कारण यहाँ स्वीकारोक्ति को अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति भी नहीं कहा जा सकता है। यदि अभियुक्त द्वारा पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति की जाती है और स्वीकारोक्ति का एक हिस्सा किसी भी आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी की ओर ले जाता है, तो ऐसा हिस्सा ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य है। चूँकि कुछ भौतिक वस्तुओं की बरामदगी से संबंधित स्वीकारोक्ति के केवल ऐसे हिस्से को स्वीकार किया गया था

साक्ष्य और उस पर निर्भर, ऐसी निर्भरता कानून के अनुसार थी। [पैरा 27] [561-बी-सी]

5. जाँच के दौरान, उन विभिन्न होटलों के रिकॉर्ड जिनके साथ आरोपी रुका था

मृतक, पीडब्लू1 और उसके परिवार को एकत्र किया गया था।

पीडब्लू36, पटू राजन बनाम। तमिलनाडु राज्य

लिखावट विशेषज्ञ ने होटल के अभिलेखों में लिखावट की तुलना अभियुक्त के लिखावट से की और कहा कि

पूर्व अभियुक्त संख्या से संबंधित है। 4 , 5 , 6 और 8. इसने इस निष्कर्ष का समर्थन किया कि आरोपी वास्तव में पीडब्लू1 और उसके परिवार के सदस्यों को विभिन्न स्थानों पर ले गया जैसा कि उनके द्वारा अपदस्थ किया गया था। [पैरा 30] [562-एच; 563-ए-बी]

6. डी. एन. ए. साक्ष्य राय साक्ष्य की प्रकृति में भी है जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में परिकल्पित है। निस्संदेह, न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने वाला एक विशेषज्ञ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,

विदेशी कानून, विज्ञान, कला आदि, जिन पर न्यायालय के पास अपनी राय बनाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता नहीं हो सकती है। निस्संदेह, यह एक विशेषज्ञ गवाह का कर्तव्य है कि वह अपनी विशेषज्ञता के आधार पर प्रासंगिक रिपोर्ट प्रस्तुत करके अदालत की प्रभावी ढंग से सहायता करे। उसके कारणों के साथ, ताकि न्यायालय एक उचित निष्कर्ष पर आने के लिए विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत ऐसी सामग्रियों और कारणों का आकलन करके अपना स्वतंत्र निर्णय दे सके। हालाँकि, राय साक्ष्य प्रकृति में सलाहकार है, और न्यायालय विशेषज्ञों के साक्ष्य से बाध्य नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि डी. एन. ए. साक्ष्य की अनुपस्थिति से किसी पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकलेगा, विशेष रूप से ऐसे पक्ष के पक्ष में रिकॉर्ड पर अन्य ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य की उपस्थिति में। [पैरा 31 33] [563-सी-डी; 564-ए-बी, ई]

शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(1984) 4 एससीसी 116: [1985] 1 एससीआर 88; रमेश चंद्र अग्रवाल बनाम। रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड और अन्य। (2009) 9

एस. सी. सी. 709 [2009] 14 एस. सी. आर. 424; राज्य (दिल्ली प्रशासन) v. पाली राम (1979) 2 एससीसी 158: [1979] 1 एससीआर 931; एच. पी. बनाम राज्य जय लाल और ओआरएस। (1999) 7 एससीसी 280: [1999] 2 पूरक। एस. सी. आर. 318; बासो प्रसाद और अन्य। वी. बिहार राज्य (2006) 13 एससीसी 65: [2006] 9 पूरक। एससीआर 431; मलय कुमार गांगुली बनाम। डॉ. सुकुमार मुखर्जी और ओआरएस। (2010) 2 एससीसी (सीआरआई) 299

- पर भरोसा किया।

7. मृतक की पहचान करने के लिए तत्काल मामले में अधिरोपण परीक्षण किया गया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि अधिरोपण पर साक्ष्य भी विशेषज्ञों के [2019] 5 एस. सी. आर. पर आधारित है।

राय दें। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए न्यायसंगत ठहराया कि एक अधिरोपण परीक्षण को मृत शरीर की पहचान के लिए एक निर्णायक परीक्षण के रूप में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यह अपने आप में नहीं हो सकता है।

निर्णायक रूप से पहचान स्थापित करें। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर विशेषज्ञ गवाही को सही ढंग से स्वीकार किया क्योंकि तत्काल मामले में, अधिरोपण परीक्षण केवल एक साक्ष्य था जिस पर अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को मजबूत करने के लिए पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए भरोसा किया था। इसके अलावा, पी. डब्ल्यू. 34 की गवाही से यह स्पष्ट है कि परीक्षण तीन अलग-अलग तरीकों, यानी वीडियो अधिरोपण, दृश्य अवलोकन और दंत विशेषता अधिरोपण का उपयोग करके किया गया था, और इस तरह के साक्ष्य की विश्वसनीयता के लिए चुनौतियों के बावजूद, अदालतों ने अपनाई गई कार्यप्रणाली का सावधानीपूर्वक आकलन करने के बाद, शरीर की पहचान के संबंध में पी. डब्ल्यू. 34 द्वारा किए गए निष्कर्ष को स्वीकार किया, और अदालतों द्वारा इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई त्रुटि नहीं थी। इसलिए, पी. डब्ल्यू. 34 के वैज्ञानिक साक्ष्य पर विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी सही विश्वास किया गया और शरीर की पहचान के संबंध में पी. डब्ल्यू. 1 और 2 के साक्ष्य को मजबूत किया गया। [पैरा 34,36-38] [564-F; 565-E-G]

शंकर और ओआरएस। वी. तमिलनाडु राज्य (1994) 4 एस. सी. सी. 478; स्वामी श्रद्धानंद बनाम। कर्नाटक राज्य

(2007) 12 एस. सी. सी. 288 [2007] 7 एस. सी. आर. 616; पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु बनाम। जॉन डेविड (2011) 5 एससीसी 509: [2011] 7 एस. सी. आर. 354; महेश धनाजी शिंदे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2014) 4 एससीसी 292: [2014] 3 एससीआर 406 -

उस पर भरोसा करें

मोदी, ए टेक्स्टबुक ऑफ मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड

विष विज्ञान, 26 वां संस्करण, 2018-संदर्भित

8.1 अभियुक्त संख्या 6 के कबूलनामे के आधार पर, उसके घर से पीडब्लू 1, सोने की चेन आदि की तस्वीर वाला एक बटुआ बरामद किया गया, जिसकी पहचान पीडब्लू 1 और उसके परिवार द्वारा मृतक से संबंधित होने के रूप में की गई। बयानों से यह स्पष्ट है कि शव की बरामदगी बाघ-चोल वन क्षेत्र से की गई थी, जो वही स्थान था जहाँ आरोपी नंबर 2 ने अपने पटू राजन बनाम के आधार पर जांच दल का नेतृत्व किया था।

तमिलनाडु राज्य

मृत शरीर के निपटान के बारे में स्वीकारोक्ति। इस मोड़ पर कि केवल इसलिए कि शव की वास्तविक बरामदगी आरोपी द्वारा पुलिस को घटनास्थल पर ले जाने से पहले हुई थी, यह इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संदर्भ में, स्वीकारोक्ति के आधार पर बरामदगी की वैधता को नकारता नहीं है। अभियुक्त संख्या 2 के कहने पर मृतक के शव की बरामदगी और पीडब्लू 1, उसके परिवार के साथ-साथ अभियुक्त द्वारा शव की पहचान उसके पति के रूप में, तस्वीरों, मृतक के कपड़े और सामान और उसके निशान के आधार पर, सभी उचित संदेह से परे साबित हुआ।

[पारस 39,40] [566-सी-जी]

रोहताश कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2013) 14 एस. सी. सी. 434 [2013] 3 एस. सी. आर. 884; त्रिमुख मरोती किरकान बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 एससीसी 681: [2006] 7

पूरक। एस. सी. आर. 156-पर निर्भर।

8.2 पलानी में एक पेट्रोल पंप की बिल बुक और कैश बुक,

जहां टाटा सूमो में ईंधन भरा गया था, उसे भी जब्त कर लिया गया। यह दिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सबूत है कि टाटा सूमो जिसमें आरोपी मृतक के साथ यात्रा कर रहे थे, वास्तव में कोडाइकनाल की ओर गया था, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि पलानी में कोडाइकनाल के रास्ते में एक पेट्रोल पंप से ईंधन भरा गया था। पीडब्लू 1 और 2 की भारी, सुसंगत और विश्वसनीय गवाही, पुष्टि करने वाले साक्ष्य के साथ, अभियोजन पक्ष के मामले को निर्णायक रूप से साबित करती है। इन गवाहों के साक्ष्य में कोई अलंकरण या अतिशयोक्ति नहीं थी। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों का साक्ष्य सजातीय, सुसंगत और विश्वसनीय था, और पीडब्लू 1 और 2 की गवाही की पुष्टि करता था, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी थी और केवल आरोपी के अपराध की ओर इशारा करती है। [पारस 42,43] [567-जी-एच; 568-ए-सी]

इंदर सिंह बनाम। राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1978) 4 एससीसी 161: [1978] 3 एससीआर 393; एच. पी. बनाम राज्य लेख राज और अन्न। (2000) 1 एससीसी 247: [1999] 4 पूरक। एससीआर 286;

तखाजी हीराजी बनाम। ठाकुर कुबरसिंग चमनसिंग और

ओआरएस। (2001) 6 एस. सी. सी. 145; चमन और अन्न। वी. की स्थिति

उत्तराखंड (2016) 12 एस. सी. सी. 76-पर निर्भर था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[1964] 3 एससीआर 297

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2001] 3 एससीआर 942

उस पर भरोसा करें

पैराः

(2016) 3 एससीसी 8

उस पर भरोसा करें

पैरा

(2006) 1 एस. सी. सी. 732

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2008] 14 एससीआर 1049

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2010] 10 एससीआर 651

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[1985] 1 एससीआर 88

उस पर भरोसा करें

पै

रा 2

[2009] 14 एससीआर 424

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[1979] 1 एससीआर 931

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[1999] 2 पूरक। एससीआर 318

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[2006] 9 पूरक। एससीआर 431

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

(2010) 2 एससीसी (सीआरआई) 299

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

(1994) 4 एस. सी. सी. 478

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[2007] 7 एससीआर 616

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[2011] 7 एससीआर 354

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[2014] 3 एससीआर 406

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[2013] 3 एससीआर 884

उस पर भरोसा करें

पै

रा

[2006] 7 पूरक। एससीआर 156

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4

[1978] 3 एससीआर 393

उस पर भरोसा करें

पै

रा -

[1999] 4 पूरक। एससीआर 286

उस पर भरोसा करें

पै

रा -

(2001) 6 एससीसी 145

उस पर भरोसा करें

पै

रा

(2016) 12 एससीसी 76

उस पर भरोसा करें

पै

रा

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः अपराधी

नं. 680-681 2009 का मद्रास में सी. ए. सं. में उच्चतम न्यायपालिका के दिनांक 19.03.2009 के निर्णय और आदेश से। 748 2004 का और 20 का 637

वाइथ

2 पटू राजन बनाम की आपराधिक अपील Nos.799-800,824,801-802,822-823।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

बालाजी श्रीनिवासन, ए. ए. जी., सुशील कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री ऐश्वर्या भाटी, के. के. मणि, सुश्री टी. अर्चना, जयदीप सिंह, आदित्य कुमार,

एस. रत्नाकरन, भगवान दास, थँकैह, टी. गोपाल, वैद्यति मिश्रा, एम. योगेश कन्ना, एस. पार्थ सारथी, एस. राजा राजेश्वरन, सुश्री पल्लवी सेनगुप्ता, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मोहन एम. शांतनागौदर, जे.

1. 2004 के आपराधिक अपील संख्या 637 और 748 में पारित 19.03.2009 का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया

मद्रास जिसमें उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता जीवजोथी (पीडब्लू1) के पति शांतकुमार के अपहरण और हत्या के लिए अभियुक्त अपीलार्थियों को दोषी ठहराया, इन अपीलों में सवाल उठाया जाता है।

2. इन अपीलों की ओर ले जाने वाले भौतिक तथ्य इस प्रकार हैं:

अभियुक्त नं. 1 होटलों की एक श्रृंखला (सरवन भवन) का मालिक है। या तो किसी ज्योतिषी की सलाह पर या बन गया है

पी. डब्ल्यू. 1 से अक्सर फोन पर बात करते थे, और उसे गहने और रेशम की साड़ियां जैसे महंगे उपहार भी देते थे और यहां तक कि उसके चिकित्सा बिलों का भुगतान करने तक जाते थे। पीडब्लू1 का प्यार और स्नेह हासिल करने के लिए, वह अक्सर उसके व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करता था। एक बार जब वह बीमार थी, तो दूसरे डॉक्टर की सलाह पर बेहतर इलाज के बहाने, आरोपी नंबर 1 ने उसे जबरन दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया, जहाँ उसने उसे अपने पति के साथ यौन संबंध नहीं बनाने की सलाह दी और उसे कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा। मृतक शांतकुमार को एड्स और ऐसी अन्य बीमारियों के लिए खुद का परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था।

3. 01.10.2001 पर, पीडब्लू1 और उसके पति का अभियुक्त नंबर 1 और उसके गुर्गों (इसमें अपीलकर्ताओं सहित) द्वारा अपहरण कर लिया गया था, क्योंकि

जो एक अलग शिकायत है (एक्स. पी3) पीडब्लू1 द्वारा दर्ज किया गया था और एक अलग परीक्षण किया गया था। उसमें से कुछ अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया था। अपहरण की घटना के लिए दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ अलग-अलग अपीलें भी दायर की गईं। जैसा कि उन्हें अलग से तय किया गया है, हम इनमें उक्त घटना और अपराध पर विस्तार से चर्चा करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

अपीलें करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. अभियुक्त नं. 1 ने पी. डब्ल्यू. 1 के पति को अपनी तीसरी पत्नी के रूप में सुरक्षित करने के लिए पी. डब्ल्यू. 1 के पति को खत्म करने के लिए अन्य अपीलार्थियों की मदद ली।

और पीडब्लू1 को पुलिस शिकायत दर्ज करने का सुझाव दिया। हत्या से कुछ दिन पहले, आरोपी नंबर 2 ने पीडब्लू 1 को निर्देश दिया कि वह अपने पति को एक प्रेस रिपोर्टर से मिलने के लिए एक निश्चित साईं बाबा मंदिर में अकेले आने के लिए कहे, जिसे आरोपी नंबर 2 व्यक्तिगत रूप से जानता था ताकि आरोपी नंबर 1 के गलत कामों को उजागर किया जा सके। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त संख्या 2 ने खुद को पीडब्लू 1 और मृतक का शुभचिंतक बताया। 5. 18.10.2001 पर, पीडब्लू1 के साथ-साथ उसके पति आरोपी नंबर 2 के निर्देश पर साईं बाबा मंदिर गए। इसके तुरंत बाद, पंजीकरण संख्या वाली दो राजदूत कारें। टी. एन. 09 टी. 3224 (एम. ओ. 1) और टी. एन. 22 5202 (एम. ओ. 2), और पंजीकरण संख्या वाला एक टाटा सूमो वाहन। टी. एन. 09 क्यू. 1310 (एम. ओ. 3) आया और उस कार के पीछे रुका जिसमें पी. डब्ल्यू. 1 और उनके पति बैठे थे। अभियुक्त सं। 3 और 4, चाकू से लैस, एक कार से बाहर निकला और पीडब्लू 1 और उसके पति को आरोपी की कार में चढ़ने के लिए मजबूर किया जिसमें आरोपी नंबर 5 बैठा था, और उन्हें चेंगलपट्टू ले गया। उसी रात लगभग 8:30 बजे, पंजीकरण संख्या वाली एक मर्सिडीज बेंज। अभियुक्त संख्या 1 से संबंधित टी. एन. 10 एम. 7755 (एम. ओ. 4) अभियुक्त संख्या 1 के साथ पी. डब्ल्यू. 1 के माता-पिता के साथ पहुँचा। इसके बाद, पीडब्लू1 की मां पीडब्लू2 ने पीडब्लू1 को सूचित किया कि आरोपी नंबर 1 उक्त बेंज कार में था, और चाहता था कि पीडब्लू1 अपने पति को छोड़कर कार में आरोपी नंबर 1 से मिले। जैसा कि पीडब्लू1 ने विरोध किया, अभियुक्त संख्या। 3 और 4 जबरन पीडब्लू1 को बेंज कार में ले गए, और उसे उक्त कार में तिरुचिरापल्ली ले जाया गया।

6. 19.10.2001 पर, पीडब्लू1 को आरोपी Nos.5 द्वारा पीडब्लू9 ले जाया गया और 8 को पाराप्पडी गाँव में, जादू-टोना (काला जादू) के कथित प्रभाव को दूर करने के लिए, जो कथित रूप से शांतकुमार के साथ उसके प्यार में होने का कारण था। वहाँ से उन्हें एक ज्योतिषी (पीडब्लू8) से सलाह लेने के लिए वेप्पनकुलम गाँव ले जाया गया। उक्त स्थान पर, अभियुक्त संख्या 1, जनार्दनम का एक कर्मचारी आया और पीडब्लू 1 को सूचित किया कि उसका पति अभियुक्त संख्या 1 के गुर्गों के चंगुल से बच गया है और उसका ठिकाना अज्ञात है। इसके बाद, रात बिताने के बाद

तिरुनेलवेली में होटल एरियास, पीडब्लू1 और उसका परिवार, आरोपी संख्या के साथ। 1 , 5 , 6 और 8 ट्रेन से चेन्नई लौट आए।

7. दो दिनों के बाद, शांतकुमार ने एक फोन कॉल पर पीडब्लू1 से बात की और कहा कि आरोपी नंबर 2 ने उसे रुपये दिए जाने के बारे में बताया था।

अभियुक्त नं. 1 द्वारा उसे मारने के लिए लाखों, लेकिन अभियुक्त नं. 2 ने उसे सहानुभूति के कारण बिना किसी नुकसान के जाने दिया था, और उसे मुंबई भागने और पंद्रह दिनों के बाद वहां से उससे संपर्क करने के लिए कहा था। हालांकि, शांतकुमार

और उन्हें सूचित किया कि आरोपी नंबर 1 ने शांतकुमार को उनके पास लाने का निर्देश दिया था। उसे अकेला भेजने के लिए अनिच्छुक, पीडब्लू1 भी शांतकुमार और आरोपी नंबर 5 के साथ चला गया। अभियुक्त नं. 1 ने पीडब्लू1 और उसके पति को अपने टाटा सुमो (पंजीकरण नं. टीएन 10 एम 7755)। यह वाहन, अभियुक्त संख्या 9 द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें अभियुक्त संख्या। 5 और 8, पी. डब्ल्यू. 1 और शांताकुमार अंदर बैठे, उनके बाद एक और टाटा सुमो (एम. ओ. 3) आया। कराई इलुपू पुलिया पर पहुँचने पर, और अभियुक्त संख्या 5 के संकेत पर, दूसरा वाहन रुका, और अभियुक्त संख्या। 2 4 और 6 वहाँ से उतर गए। आरोपी नंबर 1 बाहर निकला और शांतकुमार को कॉलर से पकड़कर बाहर खींच लिया। उसने शांतकुमार को नीचे धकेल दिया और उसे आरोपी संख्या को सौंप दिया। 2 4 और 6 पर और उन्हें "उसे खत्म करने" का आदेश दिया। अभियुक्त संख्या 7 द्वारा संचालित टाटा सुमो (एम. ओ. 3) ने शांतकुमार उक्त अभियुक्त के साथ डिंडीगुल की ओर बढ़े। आरोपी नंबर 1 और अन्य आरोपी पीडब्लू 1 को वापस ले गए, और बाद में उसे और उसके परिवार को वापस चेन्नई ले आए।

9. जबकि पीडब्लू1 वेलाचेरी में अपनी माँ के घर पर रह रही थी, आरोपी संख्या। 5 , 8 और आरोपी नंबर 1 के अन्य गुर्गों ने एक स्थिर [2019] 5 एस. सी. आर. रखा।

पीडब्लू1 और उसके परिवार की गतिविधियों पर नजर रखें। इसके बाद, आरोपी नंबर 1 के कहने पर, पीडब्लू 1 और उसके परिवार के सदस्यों को रवि (पीडब्लू 4) के नाम से एक ज्योतिषी के पास ले जाया गया, और बाद में, उसे रघुनाथ अय्यर द्वारा आयोजित कुछ अनुष्ठानों से गुजरना पड़ा।

के. के. नगर में आरोपी नंबर 1 की दूसरी पत्नी की उपस्थिति। बाद में, उन्हें बहुत झटका लगा, पीडब्लू1 को पता चला कि ये अनुष्ठान पारंपरिक रूप से होते थे। पति की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा किया गया। इसलिए, गंभीर रूप से संदिग्ध होने पर, उसने 20.11.2001 पर पहली जानकारी दर्ज कराई

यह कहते हुए कि आरोपी नंबर 1 और उसके गुर्गों ने उसके पति की हत्या कर दी थी, और इसे 2001 के अपराध No.1047 के रूप में दर्ज किया गया था।

10. अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध करने का उद्देश्य यह है कि आरोपी नंबर 1 पी. डब्ल्यू. 1 को अपनी तीसरी पत्नी के रूप में लेना चाहता था।

यह जानने के बावजूद कि वह पहले से ही मृतक से शादी कर चुकी थी शांताकुमार। अभियुक्त नंबर 1 ने अन्य अभियुक्तों की मदद से पीडब्लू 1 और पीडब्लू 1 के बीच संबंधों को तोड़ने के कई असफल प्रयास किए।

उसका पति। अंततः, अभियुक्त नं. 1 ने मृतक को समाप्त करने के लिए विचाराधीन अपराध को अंजाम दिया ताकि वह बिना किसी बाधा के पीडब्लू 1 से शादी कर सके। 11. इस बीच, यानी 31.10.2001 पर, प्राथमिकी दर्ज करने से पहले, रमन नाम का एक वनपाल और वन रक्षक मुरुगुसेन

(कोडाइकनाल पर्वतमाला के पी. डब्ल्यू. 26 और 27) ने बाघ-चोल वन क्षेत्र के पास एक नर के शव की खोज की। शव को देखकर, पीडब्लू27 ने पहली सूचना, एक्स्ट दर्ज कराई। पी42, कोडाइकनाल पुलिस स्टेशन में, जिसे 2001 के सी. आर. नंबर 559 के रूप में दर्ज किया गया था, एक अज्ञात शव की खोज और उसकी अप्राकृतिक मौत को दर्ज करता है। पोस्टमॉर्टम पी. डब्ल्यू. 35 द्वारा 01.11.2001 पर किया गया था और उसके बाद, क्योंकि शव की पहचान नहीं हो पाई थी, इसे पी. डब्ल्यू. 33, अनिथलाई द्वारा पी. डब्ल्यू. 32, हेड कांस्टेबल सेबेस्टियन की उपस्थिति में कोडाइकनाल नगर पालिका के हिंदू कब्रिस्तान में दफनाया गया था। इस बीच, आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और शांतकुमार की हत्या की बात कबूल कर ली थी। अभियुक्त संख्या 2 के इस स्वीकारोक्ति के आधार पर कि उसने और अन्य अभियुक्तों ने पीड़ित की हत्या कर दी थी और शव को टाइगर-चोल के वन क्षेत्र में फेंक दिया था।

सड़क पर एक मोड़ पर, जांच दल उस स्थान पर आगे बढ़ा, और अंततः यह निर्धारित किया गया कि वन अधिकारियों द्वारा पाया गया शव शांतकुमार का था। कोडाइकनाल पुलिस (एम. ओ. 11,12,13,14) द्वारा खींची गई शव को दफनाने से पहले की तस्वीरों के साथ-साथ मृतक के शरीर पर पाए गए परिधान (एम. ओ. 5,6 और 8)

पीडब्लू1 और उसके परिवार के साथ-साथ कुछ अभियुक्तों द्वारा उनकी पहचान शांतकुमार के रूप में की गई थी। मृत शरीर को पीडब्लू 33 और दो अन्य लोगों द्वारा निकाला गया था, और दूसरे पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया था, जिसे पीडब्लू 38 द्वारा संचालित किया गया था। जाँच के दौरान, प्रक्रिया

मृतक के चेहरे को पी. डब्ल्यू. 34, डॉ. जयप्रकाश द्वारा अधिरोपित किया गया था, जिसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि शव शांतकुमार का है। निष्कासन के बाद, पी. डब्ल्यू. 1 और 2 द्वारा शरीर की पहचान कमर पर अभी भी दिखाई देने वाले निशान के माध्यम से की गई थी। भारतीय दंड संहिता (इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित) के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप बनाए गए थे, जिसमें धारा 302,364 और 201 शामिल हैं, और मुकदमा चलाया गया था।

12. विचारण न्यायालय, अभिलेख पर सामग्री के मूल्यांकन पर, अभियुक्त अपीलार्थियों को निम्नलिखित दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया

आई. पी. सी. की धारा 364,304 भाग I और 201। अभियुक्त अपीलार्थी

साथ ही राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की, जिसमें उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के अपराध के निष्कर्ष की पुष्टि करते हुए, आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 302 में संशोधित किया। विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्ष्य, विशेष रूप से पीडब्लू 1 और 2 का साक्ष्य, अन्य सहायक साक्ष्यों के साथ, विश्वसनीय और भरोसेमंद था; अपराध करने का उद्देश्य साबित हो गया था; अभियोजन पक्ष द्वारा अंतिम देखी गई परिस्थिति को उचित संदेह से परे साबित कर दिया गया था; और डैनियल (अभियुक्त संख्या 2) के बयान के आधार पर शव की बरामदगी भी साबित हो गई थी। दोनों न्यायालयों ने स्थिरता की कसौटी पर पीडब्लू1 के साक्ष्य का परीक्षण किया

मामले की अवधि के साथ। विचारण न्यायालय, जिसे पीडब्लू 1 और 2 के आचरण का अवलोकन करने का अवसर मिला था, ने अभिनिर्धारित किया कि विसंगतियां और विरोधाभास, यदि कोई हो, प्रकृति में मामूली थे, और पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य की विश्वसनीयता और स्थिरता को प्रभावित नहीं करते थे।

13. अदालतों ने दो पोस्टमॉर्टम परीक्षणों का संचालन करने वाले डॉक्टरों पीडब्लू 35 और 38 के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु प्रकृति में हत्या थी, क्योंकि मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना पाया गया था।

14. श्री सुशील कुमार, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री के माध्यम से लिया और प्रस्तुत किया कि

अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई परिस्थितियाँ [2019] 5 एस. सी. आर. में साबित नहीं हुई हैं।

कानून के अनुसार। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने केवल धारणाओं और अनुमानों पर आगे बढ़े हैं, और अपराध करने का उद्देश्य इस तथ्य के अलावा साबित नहीं हुआ है कि शव की बरामदगी से संबंधित सबूत अस्थिर हैं। उन्होंने इस तर्क पर अधिक जोर दिया कि वर्तमान मामले में पहली जानकारी (एक्स. पी1) 20.11.2001 पर पंजीकृत नहीं हो सकता था

बिल्कुल भी दर्ज किया गया है, क्योंकि एक ही घटना से संबंधित दूसरी प्राथमिकी नहीं हो सकती है। उनके अनुसार, दिनांकित प्रथम सूचना रिपोर्ट 20.11.2001 में पाई गई घटना केवल अपहरण के पहले के अपराध की निरंतरता है जो 01.10.2001 पर हुआ था, जिसने दर्ज की गई पहली जानकारी के अनुसार कार्यवाही शुरू की थी। 12.10.2001 . इस प्रकार, उनके अनुसार, वर्तमान मामले में एफ. आई. आर. केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 (इसके बाद "Cr.P.C") के तहत दर्ज किए गए बयान के चरित्र को ग्रहण करेगी, और इस मामले में कार्यवाही दूषित हो जाएगी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपहरण मामले की पहली जानकारी दिनांक 12.10.2001 को चिह्नित किया गया था और वर्तमान मामले में अतिरिक्त के रूप में भरोसा किया गया था। पी3 और सबूत के एक ठोस टुकड़े के रूप में इसका उपयोग अवैध था। यह भी तर्क दिया गया कि पीडब्लू1 द्वारा गवाही दी गई अंतिम देखी गई परिस्थिति से संबंधित साक्ष्य को Cr.P.C की धारा 313 के तहत उनकी जांच करते समय अभियुक्त के सामने नहीं रखा गया था, और इसलिए, साक्ष्य के ऐसे हिस्से का उपयोग अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के खिलाफ नहीं किया जा सकता था। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि डीएनए परीक्षण के अभाव में केवल एक सुपरइम्पोजिशन परीक्षण के आधार पर शरीर की पहचान अनुचित थी।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री बालाजी श्रीनिवासन ने इसके समर्थन में तर्क दिया

निम्नलिखित न्यायालयों के निर्णय।

15. हम अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलों में कोई बल नहीं पाते हैं कि हत्या की घटना

हाथ में मामला केवल पी. डब्ल्यू. 1 और मृतक शांतकुमार के अपहरण से संबंधित 2001 के अपराध संख्या 1030 के पिछले अपराध की निरंतरता है, जो 01.10.2001 पर हुआ था।

निस्संदेह, समय या स्थान की निकटता, उद्देश्य और अभिकल्पना की एकता और कार्रवाई की निरंतरता जैसे कारक, अधिनियमों पर विचार किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या ऐसे कार्य एक ही लेन-देन का हिस्सा हैं या नहीं (ए. पी. v. की स्थिति देखें। चीमलपति गणेश्वर राव, (1964) 3 एससीआर 297)। विचाराधीन हत्या की घटना के सामने आने के क्रम का एक त्वरित अवलोकन और पट्टू राजन बनाम।

अपहरण की पूर्व घटना से पता चलेगा कि उपरोक्त कारकों को इस मामले में संतुष्ट नहीं कहा जा सकता है। यहां तक कि जब दो एफ. आई. आर. एक्स. पी1 और पी3 को एक साथ पढ़ा जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि अपहरण की पहली घटना 01.10.2001 पर शुरू हुई और समाप्त हुई। अपहरण का अपराध तब शुरू हुआ जब पीड़ितों (पीडब्लू1 और मृतक) को कैद में रखने के लिए मजबूर किया गया।

उक्त तिथि, और पीड़ितों को रिहा किए जाने के तुरंत बाद उसी दिन पूरा किया गया था। उक्त घटना के संबंध में, पहली जानकारी पीडब्लू1 द्वारा 12.10.2001 पर दर्ज की गई। उक्त मामले की जाँच के दौरान, 24.10.2001 पर, आरोपी मृतक, पीडब्लू1 और उसके परिवार के सदस्यों को तिरुनेलवेली ले आया। वर्तमान अपराध 26.10.2001 पर किया गया, जिसके तहत पीडब्लू1 और उसके पति, शांतकुमार को एक कार में ले जाया गया, और आरोपी संख्या 1, आरोपी संख्या 1 के निर्देश पर। 2 4, 6 और 7 पर शांतकुमार को उसकी पत्नी से अलग करके जबरन ले गए, उसकी हत्या कर दी और उसके शव को घर पर फेंक दिया।

कोडाइकनाल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में बाघ-चोल वन क्षेत्र।

जाहिर है, दोनों घटनाओं के घटित होने का समय और स्थान अलग-अलग हैं। घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की संख्या भी

अलग-अलग। घटनाओं के क्रम से भी कार्रवाई की कोई निरंतरता नहीं ली जा सकती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि दोनों अपराधों को करने का उद्देश्य एक ही हो सकता है, क्योंकि वे अभियुक्त संख्या 1 को पीडब्लू 1 से शादी करने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन केवल उनके सामान्य उद्देश्य के कारण, दूसरे अपराध को पहली घटना की निरंतरता में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों अपराधों के पीछे अलग-अलग इरादे हैं। पहला अपराध मृतक और पीडब्लू1 का अपहरण करने के इरादे से किया गया था, जिसका उद्देश्य केवल उन्हें धमकाना और दबाव बनाना था। इसके विपरीत, दूसरे अपराध के पीछे का इरादा मृतक की हत्या करना था ताकि उससे स्थायी रूप से छुटकारा पाया जा सके। इसलिए, यह स्पष्ट है कि दोनों अपराधों के बीच उद्देश्य और योजना की एकता भी अनुपस्थित है। इस प्रकार, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि हत्या की घटना पूरी तरह से अलग है और अपहरण की पिछली घटना से अलग है।

16. निर्विवाद रूप से, अपहरण की घटना से संबंधित पहली जानकारी, विभिन्न चरणों और विभिन्न पुलिस अधिकारियों से गुजरने के बाद, अंततः 09.11.2001 पर एक प्राथमिकी के रूप में दर्ज की गई।

क्षेत्राधिकार पुलिस स्टेशन। फिर भी, तथ्य यह है कि अपहरण का अपराध 01.10.2001 पर ही पूरा किया गया था और पहली जानकारी 12.10.2001 पर दर्ज की गई थी।

17. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि उसी [2019] एस. सी. आर. के दौरान किए गए किसी अपराध या विभिन्न अपराधों के संबंध में दूसरी एफ. आई. आर. दर्ज की जाए।

कार्रवाई न केवल अनुज्ञेय है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करती है।

शीर्षक। टी. टी. एंटनी बनाम केरल राज्य, (2001) 6 एस. सी. सी. 181, ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि दूसरी एफ. आई. आर. का पंजीकरण (जो

एक जवाबी मामला) संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यह है।

उसमें उक्त निर्णय के पैराग्राफ 19,20 और 27 को नोट करें। डीः

" 19. सी. आर. पी. सी. की योजना यह है कि एक पुलिस का प्रभारी अधिकारी स्टेशन को धारा 156 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जांच शुरू करनी होगी

या प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रविष्टि के आधार पर 157 दंड प्रक्रिया संहिता, किसी संज्ञेय अपराध के होने का पता चलने पर।

जाँच पूरी होने पर और साक्ष्य के आधार पर एकत्र किए जाने पर, उसे धारा 169 या 170 के तहत एक राय बनानी होगी

और जहाँ आगे की जाँच के दौरान वह और सबूत एकत्र करता है, मौखिक या वृत्तचित्र, वह एक के साथ इसे आगे बढ़ाने के लिए बाध्य है

या अधिक आगे की रिपोर्ट; यह उप-धारा (8) का महत्व है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173।

20. उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि योजना के तहत

धारा 154,155,156,157,162,169,170 और

173 सी. आर. पी. सी. के संबंध में केवल सबसे पहली या पहली जानकारी

संज्ञेय अपराध करना निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता हैः

अपराध या एक ही घटना या घटना जो एक या एक को जन्म देती है अधिक संज्ञेय अपराध। ए के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर

संज्ञेय अपराध या संज्ञेय अपराध को जन्म देने वाली घटना

या अपराध और स्टेशन हाउस डायरी में एफ. आई. आर. दर्ज करने पर, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को न केवल जांच करनी होती है

एफ. आई. आर. में दर्ज संज्ञेय अपराध लेकिन अन्य संबंधित अपराध भी

उसी दौरान किए गए अपराध पाए गए लेन-देन या एक ही घटना और एक या अधिक रिपोर्ट दर्ज करें

जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में प्रावधान किया गया है।

एक्स एक्स एक्स एक्स

एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

एक्स पटू राजन बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

27. संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और विस्तार के बीच एक न्यायपूर्ण संतुलन। संज्ञेय अपराध की जाँच करने की पुलिस की शक्ति होनी चाहिए

अदालत द्वारा मारा गया। कोई विवाद नहीं हो सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की धारा (8) पुलिस को ऐसा करने का अधिकार देती है -

आगे की जांच, आगे के साक्ष्य प्राप्त करें (मौखिक और मौखिक दोनों) वृत्तचित्र) और एक और रिपोर्ट या रिपोर्ट को अग्रेषित करें

मजिस्ट्रेट। नारंग मामले में [राम लाल नारंग बनाम। राज्य (दिल्ली)

जाँच की व्यापक शक्ति के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है के संबंध में पुलिस द्वारा हर बार नए सिरे से जांच करने के लिए नागरिक

एक ही घटना, एक या अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देती है, जिसके परिणामस्वरूप एक के बाद एक प्राथमिकियां दर्ज की जाती हैं, चाहे वह पहले हो या बाद में

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल करना। यह स्पष्ट है कि

जिसके संबंध में पहली एफ. आई. आर. के अनुसार या तो जांच की जाती है धारा 173 (2) के तहत चल रही या अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत या संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला हो सकता है।

18. हालाँकि, कानून के उपरोक्त सिद्धांत नहीं हो सकते हैं

घटना के तथ्यों पर लागू होता है, क्योंकि दोनों प्राथमिकियों में अंतर्निहित अपराध अलग और अलग हैं। वर्तमान मामले में धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध, पहली प्राथमिकी में मामले की जांच के दौरान किया गया था, यानी अपहरण के अपराध से संबंधित। हमारा मानना है कि मृतक की हत्या से संबंधित इस वर्तमान प्राथमिकी के तहत आरोप और अपराध अपराध संख्या 1030 में दर्ज जानकारी से काफी अलग हैं।

अपहरण से संबंधित 2001 का। हम श्री सुशील कुमार के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अपहरण से संबंधित पहले दर्ज किए गए अपराध में पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा सकती थी क्योंकि हत्या कथित रूप से [2019] 5 एस. सी. आर. के अस्तित्व के दौरान हुई है।

हत्या के अपराध से संबंधित जांच एजेंसी जो अपहरण से संबंधित जांच के निर्वाह के दौरान किया गया। आगे की जाँच, जैसा कि Cr.P.C की धारा 173 की उप-धारा 8 के तहत परिकल्पित है, मामले की जाँच को एक निरंतरता में दर्शाता है

पूर्व जांच जिसके संबंध में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। यदि पूर्व जांच के दौरान कोई नया अपराध किया जाता है, जो जांच किए जा रहे अपराध से अलग है, तो ऐसे नए अपराध की जांच लंबित मामले के हिस्से के रूप में नहीं की जा सकती है, और इसके बजाय इसकी नए सिरे से जांच की जानी चाहिए। यह ध्यान रखना उचित है कि हाथ पर तथ्य अवधेश कुमार झा बनाम के मामले में तथ्यों के समान हैं। बिहार राज्य, (2016) 3 एस. सी. सी. 8, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दूसरी एफ. आई. आर. से उत्पन्न होने वाले मामले की, यदि एक अलग लेन-देन से संबंधित है, तो खंड 'आगे की जांच' के तहत पिछली एफ. आई. आर. के साथ जांच नहीं की जा सकती है, जैसा कि उप-धारा 8 से धारा 173 के तहत विचार किया गया है।

Cr.P.C।

19. रमेशचंद्र नंदलाल पारिख बनाम। गुजरात राज्य, (2006) 1 एस. सी. सी. 732, टी. टी. एंटनी (उपरोक्त) सहित इस न्यायालय के पहले के निर्णयों पर विचार किया गया था, और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि एफ. आई. आर. एक ही संज्ञेय अपराध या एक ही घटना के संबंध में नहीं हैं एक या अधिक संज्ञेय अपराधों में वृद्धि, और एक ही लेन-देन के दौरान या उसी घटना के दौरान किए जाने का आरोप नहीं लगाया गया है जैसा कि पहली प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है, दूसरी प्राथमिकी को स्वीकार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस संबंध में, निर्मल सिंह काहलों बनाम के मामले में। पंजाब राज्य, (2009) 1 एस. सी. सी. 441, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 67. दूसरी एफ़. आई. आर., हमारी राय में, न केवल इसलिए कायम रखी जा सकती है क्योंकि इसके अलग-अलग संस्करण थे, बल्कि तब भी जब तथ्यात्मक आधार पर नई खोज की जाती है। बाद के चरण में पुलिस अधिकारियों द्वारा खोज की जा सकती है। एक बड़ी साजिश के बारे में खोज एक अन्य कार्यवाही में भी सामने आ सकती है, उदाहरण के लिए, इस प्रकृति के मामले में। यदि पुलिस अधिकारियों ने एक निष्पक्ष जांच नहीं की और मामले के साजिश के पहलू को अपनी जांच के दायरे से बाहर रखा, तो हमारी राय में, जब और जब पी. ए. टी. टी. यू. राजन बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

यह राज्य और/या उच्च न्यायालय के लिए खुला था

एक ऐसे अपराध के संबंध में प्रत्यक्ष जांच जो विशिष्ट है और उससे अलग जिसके लिए पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी थी।

20. हम इसके द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का भी उल्लेख कर सकते हैं।

टी बाबूभाई बनाम के मामले में। गुजरात राज्य, (2010) 12 एससीसी 254,

एक समान प्रश्न पर विचार करनाः

" 20. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस विषय पर कानून उभरता है -

प्रभाव कि धारा 154 सी. आर. पी. सी. के तहत एक एफ़. आई. आर. बहुत महत्वपूर्ण है

दस्तावेज़। यह संज्ञेय अपराध की पहली जानकारी है।

काफी संभव है कि एक से अधिक जानकारी दी जाए के संबंध में पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी

एक ही घटना जिसमें एक या एक से अधिक संज्ञेय अपराध शामिल हैं। ऐसे मामले में, उसे जानकारी के प्रत्येक टुकड़े को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है

लीरी। मौखिक रूप से या लिखित रूप में दी गई अन्य सभी जानकारी

में उल्लिखित तथ्यों की जांच शुरू करना

प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा के तहत आने वाले बयान होंगे।

162 सीआरपीसी।

एफ. आई. आर. और समानता की परीक्षा दोनों को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ यह पता लगाने के लिए आवेदन किया जाना है कि क्या दोनों एफ. आई. आर. एस. संबंधित हैं

एक ही घटना के संबंध में एक ही घटना या संबंधित हैं

उन घटनाओं के लिए जो एक ही के दो या दो से अधिक भाग हैं

लेन-देन। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो दूसरी एफ़. आई. आर. है - निरस्त किए जाने योग्य। हालाँकि, यदि इसके विपरीत साबित हो जाता है,

जहाँ दूसरी एफ़. आई. आर. में संस्करण अलग है और वे दो अलग-अलग घटनाओं/अपराधों के संबंध में हैं,

दूसरी एफ. आई. आर. स्वीकार्य है। उसी मामले में

घटना की पहली एफ़. आई. आर. में आरोपी सामने आता है

अलग-अलग संस्करण या प्रतिवाद, दोनों पर जांच

एफ. आई. आर. एस. आयोजित की जानी चाहिए।

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त तय किए गए कानूनी प्रस्ताव के आलोक में, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इस मामले में दर्ज की गई अलग से पहली जानकारी न्यायसंगत, कानूनी और उचित है।

21. इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपहरण के अपराध से संबंधित पहली जानकारी दिनांक 12.10.2001 पर मामले में चिह्नित की गई थी हत्या से संबंधित हाथ। हालाँकि, हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि इसका उपयोग इस मामले में सबूत के एक ठोस टुकड़े के रूप में किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उक्त दस्तावेज़ का उपयोग व्यावहारिक रूप से केवल सहायक के रूप में किया गया था

22. मामले के गुण-दोष पर आते हुए, यह ध्यान देना उचित है कि अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से तीन परिस्थितियों पर भरोसा किया अभियुक्त का अपराध, अर्थात उद्देश्य, अंतिम देखी गई परिस्थिति और अभियुक्त के कहने पर मृत शरीर की बरामदगी। एक अतिरिक्त

परिस्थितियों की श्रृंखला में अभियुक्त द्वारा Cr.P.C की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में अंतिम बार देखी गई परिस्थिति के बारे में गैर-स्पष्टीकरण है। स्पष्ट रूप से, इस मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

इस तरह की परिस्थितियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य पर विचार करने से पहले, हम यह ध्यान रखना चाहेंगे कि

परिस्थितिजन्य साक्ष्य अच्छी तरह से तय किया गया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों का निर्णय करते समय न्यायाधीश को हमेशा सावधानी से चलना चाहिए ताकि अनुमानों या संदेह को, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह लेने की अनुमति न दी जा सके। यदि कथित परिस्थितियों को न्यायालय के समक्ष ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से निर्णायक रूप से साबित किया जाता है, तो न्यायालय को अभियुक्त के अपराध की पुष्टि करने से पहले आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, मानव एजेंसी वास्तविक चित्रांकन को व्यक्त करने में त्रुटिपूर्ण हो सकती है।

घटना, लेकिन परिस्थितियाँ विफल नहीं हो सकती हैं या उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि अक्सर उद्धृत इस वाक्यांश में उचित रूप से कहा गया हैः पुरुष झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ नहीं "।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया जाना चाहिए, वे निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि अभियुक्त के अपराध के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर अन्य परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए। एक श्रृंखला होनी चाहिए परिस्थितियों को इतना पूर्ण साबित करने वाला साक्ष्य ताकि अभियुक्त के निर्दोष होने के निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़ा जा सके। हालाँकि इस न्यायालय के लिए इस कानूनी प्रस्ताव से संबंधित निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, हम पाट्टु राजन बनाम में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना पसंद करते हैं।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

विज्ञापन बर्डहिचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी एससीसी पी। 185 पैरा 153-154):

" 153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। कहा जाए कि यह पूरी तरह से स्थापित है:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकलता है

खींचा जाना पूरी तरह से स्थापित होना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि

संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए या होनी चाहिए" और "नहीं" स्थापित की जा सकती हैं। "साबित किया जा सकता है" और "होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच केवल एक व्याकरणिक ही नहीं बल्कि एक कानूनी अंतर भी है।

इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम में निर्णय दिया था। की स्थिति

महाराष्ट्र 1973 सी. आर. आई. एल. जे. 1783 जहाँ निम्नलिखित अवलोकन किए गए:

बनाए गए थे:

" निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को

और न केवल एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी हो सकता है और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है।

और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से विभाजित करता है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझाया नहीं जाना चाहिए सिवाय इसके कि -

अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और

प्रवृत्ति,

(4) उन्हें हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए सिवाय इसके कि

साबित करने के लिए एक, और

(5) सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इसके अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े

अभियुक्त की निर्दोषता और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा। 154. ये पाँच सुनहरे सिद्धांत, यदि हम ऐसा कहें, तो परिस्थिति पर आधारित मामले के प्रमाण का पंचशील बनाते हैं।

सबूत।

"[2019] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए, हमने स्वतंत्र रूप से पूरी तरह से रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर विचार किया है

उपरोक्त सिद्धांत। तथापि, चूंकि हम अभिलेख में दर्ज सभी गवाहों के बयानों को दोहराकर इस निर्णय पर भार नहीं डालना चाहते हैं।

विस्तार से, हम अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों द्वारा अपनी गवाही में उजागर किए गए केवल महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना उचित समझते हैं।

24. मृतक की पत्नी पी. डब्ल्यू. 1 की गवाही से शुरुआत करना उचित होगा। उसने विस्तार से बताया है कि कैसे आरोपी नंबर 1 उससे शादी करना चाहता था और कैसे वह अक्सर अनुचित अनुग्रह के माध्यम से उसे लुभाने की कोशिश करता था। उसने अपदस्थ कर दिया है कि चूंकि आरोपी नंबर 1 उसे अपनी तीसरी पत्नी के रूप में लेना चाहता था, इसलिए वह उसे उसके पति से अलग करना चाहता था। जब भी पीडब्लू1 या उसके परिवार को पैसे की जरूरत होती थी, तो आरोपी नंबर 1 उदारता से उनकी मदद करता था। वह नियमित रूप से फोन पर पीडब्लू1 से बात भी करता था और उसके निजी मामलों में अनुचित तरीके से हस्तक्षेप करता था। उन्होंने अपहरण की पूर्व घटना के बारे में भी विस्तार से बताया है। जहाँ तक मामले का संबंध है, उसने बयान दिया है कि <ID1, PW1 पर, उसके माता-पिता और मृतक को आरोपी नंबर 1 और अन्य अभियुक्तों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया था और वे अंततः तिरुनेलवेली पहुँच गए। 26.10.2001 के शुरुआती घंटों में, आरोपी नंबर 5 ने मृतक को आरोपी नंबर 1 से मिलने के लिए कहा। पीडब्लू1, मृतक को आरोपी नंबर 5 के साथ अकेला भेजने के लिए अनिच्छुक होने के कारण, अपने पति के साथ आरोपी नंबर 1 से मिलने गई, जिसने पीडब्लू1 और मृतक को पंजीकरण नंबर वाले वाहन में बिठाया। टीएन 10 एम 7755 (अभियुक्त संख्या 9 द्वारा संचालित) अपने और अभियुक्त संख्या के साथ। 5 और 8. रास्ते में, अभियुक्त संख्या 5 के संकेत पर, अभियुक्त संख्या। 2 , 4

और 6 एक वाहन (एम. ओ. 3) से नीचे उतरे जो पीछे चल रहा था, और मृतक को ले गए। अभियुक्त नं. 1 ने आगे इन्हें निर्देश दिया

उन पर "उसे खत्म करने" का आरोप लगाया गया, निश्चित रूप से उन्हें मृतक को मारने का निर्देश देने का इरादा था। इसके बाद, पीडब्लू1 को आरोपी नंबर 1 द्वारा जबरन वापस ले जाया गया और बाद में उसे विभिन्न अनुष्ठानों से गुजरना पड़ा, जिससे उसे अपने पति की हत्या का संदेह हुआ और उसने उसी के बारे में शिकायत दर्ज कराई।

पीडब्लू1 ने अपनी कंपनी छोड़ने के समय मृतक द्वारा पहने गए कपड़ों की पहचान के बारे में भी बयान दिया है, जिसके आधार पर उसने खोजे गए शव पर कपड़ों की पहचान की है।

शांताकुमार का। उसने उसके निजी सामान की भी पहचान की जो आरोपी संख्या 6 से बरामद किए गए थे। उन्होंने पटू राजन बनाम के निष्कासन के बारे में बयान दिया है।

जाँच में, उसने यह बयान देकर पहली जानकारी दर्ज करने में देरी के बारे में भी बताया कि वह 20.11.2001 से पहले शिकायत दर्ज नहीं कर सकी, हालांकि उसके पति का 26.10.2001 पर अपहरण कर लिया गया था क्योंकि वह आरोपी नंबर 1 और उसके पति की लगातार निगरानी में थी। अनुचर और केवल 06.11.2011 के बाद ही खुद को मुक्त कर सके। इसके अलावा, महत्वपूर्ण रूप से, पहली घटना में (अपहरण की घटना होने के नाते, 2001 की अपराध संख्या 1030), उसके पति को अभियुक्त संख्या 1 द्वारा बख्शा गया था, और बाद के अवसर पर भी, उसे अभियुक्त संख्या 2 द्वारा बख्शा गया था। इस प्रकार, उसे उम्मीद थी कि उसका पति भी इस अवसर पर भाग जाएगा। उसने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि उसकी माँ ने उसे सूचित किया था कि अगर वह आरोपी नंबर 1 से शादी करती है, तो वह उनके परिवार के लिए एक व्यवसाय स्थापित करेगा और उन्हें रुपये भी देगा। 10 लाख।

हालाँकि पी. डब्ल्यू. 1 की विस्तार से जांच की गई थी, लेकिन बचाव पक्ष भौतिक विवरणों पर उसके साक्ष्य को बदनाम नहीं कर सका। मामूली बदलावों की ओर इशारा किया गया

26. पीडब्लू1 का साक्ष्य पूरी तरह से पीडब्लू1 की माँ पीडब्लू2 के साक्ष्य द्वारा समर्थित है। पी. डब्ल्यू. 2 ने आचरण के बारे में बयान दिया है अभियुक्त संख्या 1 अपने परिवार के सदस्यों के प्रति, साथ ही साथ अभियुक्त संख्या 1 का पी. डब्ल्यू. 1 से शादी करने और उसे अपनी तीसरी पत्नी बनाने का अपमानजनक उद्देश्य। उसने घटनाओं के संबंध में पीडब्लू1 के साक्ष्य की पूरी तरह से पुष्टि की है

घटना के दिन के साथ-साथ पिछले दिन भी। उसने इस तथ्य की गवाही दी है कि आरोपी संख्या 5 तिरुनेलवेली में उनके कमरे में आया और [2019] 5 एस. सी. आर. से पूछा।

मृतक को आरोपी नंबर 1 के साथ जाना है। हालाँकि, पीडब्लू1 भी उनके साथ गया, लेकिन वह रोते हुए अकेले कमरे में लौट आई, और खुलासा किया कि आरोपी ने मृतक को पीटा था और उसे ले गया था। उसने आरोपी नंबर 1 द्वारा पीडब्लू 1 को एक ज्योतिषी के पास ले जाने और काले जादू आदि के प्रभाव को दूर करने के बारे में भी बयान दिया है। ; और यह कि वह शव को निकालने के दौरान मौजूद थी और उसने अपने दामाद के शव की पहचान उसकी कमर पर निशान के निशान से की थी। उसने मृतक की संपत्ति की भी पहचान की थी। अपनी जिरह में, उसने बचाव पक्ष द्वारा उसे दिए गए इस सुझाव का खंडन किया कि पीडब्लू1 ने आरोपी नंबर 1 से पैसे निकालने के लिए झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। उसने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के बारे में भी बताया है, जिसमें कहा गया है कि उसके घर की निगरानी आरोपी नंबर 1 और उसके सहयोगियों द्वारा की जा रही थी और वह उम्मीद कर रही थी कि मृतक सुरक्षित रूप से वापस आ जाएगा, जैसा कि उसने पहले किया था। पीडब्लू2 का साक्ष्य पीडब्लू1 के साक्ष्य की पूरी तरह से पुष्टि करता है। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि अपराध करने के उद्देश्य, अंतिम बार देखी गई परिस्थिति और वसूली के साथ-साथ मृत शरीर की पहचान के संबंध में पीडब्लू 1 और 2 का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप है। हम उनके साक्ष्य में कोई कृत्रिमता नहीं पाते हैं। दूसरी ओर, उनका साक्ष्य स्वाभाविक, सुसंगत, ठोस और संभावित बना हुआ है, और इस प्रकार हम निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा उस संबंध में किए गए निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

27. तहसीलदार के कार्यालय में कार्यरत ग्राम प्रशासनिक अधिकारी पीडब्लू 7 की गवाही भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। सहायक पुलिस आयुक्त की मांग के अनुसार, पीडब्लू 7 चला गया

30.11.2001 पर चेन्नई कोट्टुरपुरम पुलिस स्टेशन में। उसकी उपस्थिति में, आरोपी नंबर 2 ने पुलिस निरीक्षक, पीडब्लू 42 के सामने कबूल किया कि अगर उसे कोडाइकनाल ले जाया जाता है, तो वह टाइगर-चोल में वह स्थान दिखाएगा जहां शांतकुमार का शव फेंका गया था। तदनुसार, अभियुक्त संख्या 2 को 01.12.2001 पर उक्त स्थान पर ले जाया गया और उसने शव को ठिकाने लगाने की जगह की ओर इशारा किया, और पुलिस के पास उपलब्ध तस्वीरों से मृतक के शव की पहचान भी की। पीडब्लू 7 ने आगे कहा कि पीडब्लू 1 और 2, जो अगले दिन आए थे, यानी 02.12.2001 पर, ने भी तस्वीरों में दिखाए गए शव की पहचान की, और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 2 दिनों के बाद शव को बाहर निकाला गया। उन्होंने यह भी कहा कि

13.12.2001 , अभियुक्त संख्या 6 ने स्वीकार किया कि यदि उसे सलीग्राम्म रोड पर अपनी कॉलोनी में ले जाया जाता है, तो वह मृतक के बटुए (एम. 0.7) और सोने की चेन (एम. ओ. 9) की पहचान करेगा और उसे पेश करेगा, और वही अभियुक्त संख्या 6 के कहने पर बरामद किया गया था। पीडब्लू7 ने पटू राजन बनाम के बारे में भी बयान दिया है।

तमिलनाडु राज्य

[मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

टाटा सुमो से एक लुंगी (एम. ओ. 15) की वसूली जिसमें मृतक को आखिरी बार देखा गया था। पी. डब्ल्यू. 7 की प्रतिपरीक्षा से रक्षा के पक्ष में विचार करने योग्य कुछ भी सामग्री नहीं निकाली गई है।

चाहे जो भी हो, यदि अभियुक्त द्वारा पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति की जाती है और स्वीकारोक्ति के एक हिस्से से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद होती है, तो केवल ऐसा हिस्सा ही धारा 27 के तहत स्वीकार्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम। चूँकि कुछ भौतिक वस्तुओं की बरामदगी से संबंधित स्वीकारोक्ति के केवल ऐसे हिस्से को स्वीकार किया गया था

साक्ष्य और उस पर निर्भर, ऐसी निर्भरता कानून के अनुसार थी।

28. पीडब्लू 26,27,29,32 और 33 की गवाही मृतक के शरीर की बरामदगी के महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित है। पीडब्लू26 रमन,

वनपाल ने अपदस्थ किया है कि जब वह वन रक्षक मुरुगेसन (पीडब्लू27) के साथ 31.10.2001 पर काम कर रहा था, तो उन्हें जंगल में एक रसातल में टाइगर-चोल में एक शव पड़ा मिला। शरीर नीले रंग का था।

पूरी बाजू की कमीज और काले रंग की बेल्ट के साथ चंदन के रंग की पैंट पहनी हुई थी। शव को देखने के बाद, पीडब्लू26 और पीडब्लू27 कोडाइकनाल पुलिस स्टेशन गए और पहली सूचना (अतिरिक्त) दर्ज कराई। पी42) अज्ञात शव की खोज के संबंध में। इसके बाद पुलिस एक कैमरे के साथ मौके पर पहुंची और शव की तस्वीरें लीं। पीडब्लू27 ने पीडब्लू26 द्वारा कही गई बात की पुष्टि की है और बयान दिया है कि शव को पुलिस द्वारा शव परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया था।

कोडाइकनाल पुलिस स्टेशन के पुलिस उप-निरीक्षक पीडब्लू29 ने बयान दिया है कि 31.10.2001 पर पीडब्लू 26 और 27 ने शिकायत दर्ज कराई है।

जिसे उसी दिन पंजीकृत किया गया था। इसके बाद, पीडब्लू29 अन्य कर्मियों के साथ टाइगर-चोल में संबंधित स्थान पर गया और लगभग 30 वर्ष की आयु के एक पुरुष का शव देखा।

उपरोक्त कपड़े। उन्होंने सभी कोणों से शव की तस्वीरें लीं और अवलोकन मजार (एक्स्ट। पी45) और मृत शरीर का पंचनामा (एक्स. पी46)। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। तब से

शव अज्ञात था और कोई रिश्तेदार नहीं मिला, उन्होंने हेड कांस्टेबल सेबेस्टियन (पीडब्लू 32) को शव को नगरपालिका के कब्रिस्तान में दफनाने के लिए कहा। उन्होंने पीडब्लू 32 को उस स्थान को चिह्नित करने के लिए भी कहा जहां शव [2019] 5 एस. सी. आर. था।

दफनाया गया। जिरह में, उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया है कि उल्लिखित चित्र केवल मूल चित्रों की तस्वीरें थीं खोज के स्थान पर लिया गया। इसके अलावा, उन्होंने अपदस्थ किया है कि उन्होंने शव की जांच की और उसे पेट्रोमैक्स के प्रकाश में तैयार किया। हालाँकि उन्होंने शव पर एक निशान देखा, लेकिन उन्होंने अवलोकन मजार में इसका उल्लेख नहीं किया। पेट्रोमैक्स की रोशनी में कमीज का रंग भूरा दिखाई दिया, लेकिन सुबह इसे फिर से देखने पर, उन्हें एहसास हुआ कि यह वास्तव में नीला था, और इस तरह इसे बाहर निकाल दिया और मजार में उसी के अनुसार इसे ठीक किया।

हेड कांस्टेबल पी. डब्ल्यू. 32 ने पी. डब्ल्यू. 29 द्वारा अपदस्थ किए जाने को दोहराया है। वह पीडब्लू 33 द्वारा शव को दफनाने के दौरान मौजूद थे।

अनिथलाई, और उसे दफनाने के स्थान पर एक पहचानकर्ता रखने का निर्देश दिया। पीडब्लू32 ने तहसीलदार की उपस्थिति में शव को बाहर निकाला।

जिसकी दिशा में, उन्होंने शव को एक ऐसी जगह पर रखा जो ऊँची थी। उन्होंने यह भी कहा कि पीडब्लू1, जीवजोथी ने शव की पहचान उनके पति के रूप में की और रोते हुए वहां से चले गए। दफनाने के बारे में पीडब्लू32 के संस्करण की पुष्टि पीडब्लू33 द्वारा की गई थी, जिन्होंने पदच्युत किया है कि उन्होंने शव को दफनाया और जगह की पहचान करने के लिए सिर के पास एक नीले धातु के पत्थर का पहचान चिह्न लगाया।

29. हम पीडब्लू 35 और 38 (मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर) की गवाही पर भी संक्षेप में चर्चा कर सकते हैं। पीडब्लू35 ने पहली पोस्टमॉर्टम जांच की। उन्होंने अपने लेख में कहा है

जाँच-इन-चीफ कि गर्दन में हाइड हड्डी टूटी हुई पाई गई और मस्तिष्क विघटित पाया गया। उन्होंने राय दी कि व्यक्ति की मृत्यु पोस्टमॉर्टम से 3 से 5 दिन पहले हो सकती थी। लुंगी जैसी सामग्री का उपयोग करके उक्त व्यक्ति का गला घोंटने के कारण गर्दन में हाइड हड्डी टूट सकती थी। पी. डब्ल्यू. 38, जिन्होंने शव को निकालने के बाद दूसरी पोस्टमॉर्टम जांच की, वे भी खुदाई के स्थान पर मौजूद थे। पीडब्लू38 ने अपदस्थ कर दिया कि जब शव को निकाला जा रहा था, तो उसने देखा कि उस जगह के दक्षिणी हिस्से में एक लकड़ी की छड़ी के साथ एक छोटा पत्थर रखा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि मृत शरीर के दाहिने निचले पेट पर एक पुराना चोट का निशान था, हाइड हड्डी टूट गई थी, और हाइड हड्डी में पाया गया फ्रैक्चर पूर्व-पोस्टमार्टम था, जिसकी पुष्टि एक जांच के माध्यम से की गई थी।

बेंसिडाइन परीक्षण। उन्होंने कहा कि मृत्यु का कारण गर्दन का संपीड़न प्रतीत होता है। 30. हस्ताक्षर विशेषज्ञ पी. डब्ल्यू. 36 की गवाही पर ध्यान देना भी प्रासंगिक है। जाँच के दौरान, विभिन्न पटू राजन बनाम के अभिलेख।

जिन होटलों में आरोपी मृतक के साथ रुका था, उनमें पीडब्लू1 और उसके परिवार को इकट्ठा किया गया था। पीडब्लू36 ने होटल के अभिलेखों में हस्तलेखन की तुलना अभियुक्त के हस्तलेखन से की और कहा कि पूर्व अभियुक्त संख्या से संबंधित है। 4 , 5 , 6 और 8. यह इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि आरोपी वास्तव में पीडब्लू1 और उसके परिवार के सदस्यों को विभिन्न स्थानों पर ले गया जैसा कि उनके द्वारा अपदस्थ किया गया था।

31. श्री सुशील कुमार ने यह भी तर्क दिया कि डीएनए परीक्षण होना चाहिए।

शव की पहचान करने के लिए आयोजित किया गया था, और केवल एक अधिरोपण परीक्षण के आधार पर पहचान, जो सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है, उचित नहीं हो सकता है।

इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि डीएनए साक्ष्य में भी है

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में परिकल्पित राय साक्ष्य की प्रकृति। निस्संदेह, न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने वाला विशेषज्ञ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से क्योंकि राय साक्ष्य का पूरा उद्देश्य और उद्देश्य विदेशी कानून, विज्ञान, कला आदि से संबंधित प्रश्नों पर अपनी राय बनाने में न्यायालय की सहायता करना है, जिस पर न्यायालय के पास अपने दम पर राय बनाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता नहीं हो सकती है। आपराधिक मामलों में, ऐसे प्रश्न बैलिस्टिक, फिंगरप्रिंट मिलान, लिखावट की तुलना और यहां तक कि डीएनए परीक्षण या अन्य पहलुओं से संबंधित हो सकते हैं।

अधिरोपण तकनीक, जैसा कि तत्काल मामले में देखा गया है।

32. राय साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले विशेषज्ञ गवाह की भूमिका

न्यायालय के समक्ष रमेश चंद्र अग्रवाल बनाम में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करके समझाया जा सकता है। रीजेंसी

अस्पताल लिमिटेड और अन्य। , (2009) 9 एससीसी 709:

" 16. साक्ष्य का कानून यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि अदालत

केवल उस साक्ष्य पर विचार करता है जो इसे विश्वसनीय तक पहुँचाने में सक्षम बनाएगा।

निष्कर्ष। एक विशेषज्ञ के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता स्वीकार्य होने के लिए सबूत यह है कि विशेषज्ञ को सुनना आवश्यक है

सबूत। परीक्षा यह है कि पदार्थ ज्ञान से बाहर है और

सामान्य व्यक्ति का अनुभव। इस प्रकार, सुनने की आवश्यकता है विशेषज्ञ की राय जहां कोई चिकित्सीय मुद्दा है जिसे हल किया जाना है। द.

माना जाता है कि इसमें शामिल वैज्ञानिक प्रश्न अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

विशिष्ट और शायद गूढ़ भी, की केंद्रीय भूमिका एक विशेषज्ञ को विवादित नहीं किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

9] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निस्संदेह, यह एक विशेषज्ञ गवाह का कर्तव्य है कि वह अपनी विशेषज्ञता के आधार पर प्रासंगिक रिपोर्ट प्रस्तुत करके अदालत की प्रभावी ढंग से सहायता करे।

उसके कारणों के साथ, ताकि न्यायालय एक उचित निष्कर्ष पर आने के लिए विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत ऐसी सामग्रियों और कारणों का आकलन करके अपना स्वतंत्र निर्णय दे सके। जो भी हो, यह नहीं भुलाया जा सकता है कि राय साक्ष्य प्रकृति में सलाहकार है, और न्यायालय विशेषज्ञों के साक्ष्य से बाध्य नहीं है। (राज्य (दिल्ली) देखें।

प्रशासन) v. पाली राम, (1979) 2 एससीसी 158; एच. पी. बनाम राज्य जय लाल और ओआरएस। , (1999) 7 एस. सी. सी. 280; बासो प्रसाद और अन्य। वी. बिहार राज्य (2006) 13 एस. सी. सी. 65; रमेश चंद्र अग्रवाल बनाम। रीजेंसी अस्पताल

लिमिटेड और ओआरएस। (ऊपर); मलय कुमार गांगुली बनाम। डॉ. सुकुमार मुखर्जी और अन्य। , (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 299)। 33. अन्य सभी राय साक्ष्यों की तरह, डी. एन. ए. साक्ष्य के लिए दिया गया संभावित मूल्य भी तथ्यों और परिस्थितियों और अभिलेख पर अन्य साक्ष्य के लिए दिए गए वजन, चाहे विपरीत हो या पुष्टिकारक, के आधार पर अलग-अलग मामलों में भिन्न होता है। यह याद रखना और भी महत्वपूर्ण है, यह देखते हुए कि भले ही डी. एन. ए. साक्ष्य की सटीकता हर गुजरते दिन के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ बढ़ रही है, जिससे यह अधिक से अधिक विश्वसनीय हो रहा है।

अभी तक उस मोड़ पर नहीं पहुँचा है जहाँ इसे अचूक कहा जा सकता है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि डी. एन. ए. साक्ष्य की अनुपस्थिति एक

एक पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष, विशेष रूप से अन्य की उपस्थिति में ऐसे पक्ष के पक्ष में रिकॉर्ड पर ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य।

34. यह हमें निर्भर रहने के औचित्य के सवाल की ओर ले जाता है।

मृतक की पहचान करने के लिए तत्काल मामले में सुपरइम्पोजिशन परीक्षण किया जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अधिरोपण तकनीक के उपयोग से संबंधित साक्ष्य साक्ष्य का एक ठोस टुकड़ा नहीं है। हम खुद को इस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं। इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि सबूत

अधिरोपण भी विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। हम यह ध्यान रखना चाहेंगे कि पहचान के उद्देश्यों के लिए भारतीय जांच में सुपरइम्पोजिशन तकनीक का उपयोग कोई नई घटना नहीं है। विशेष रूप से, यह निठारी हत्याओं, 2008 में गोवा में रूसी हत्या की घटना, और इससे पहले भी 1996 में मोरनी हिल हत्या मामले और पहाड़गंज बम विस्फोट मामले और 2005 में उधमपुर हत्या मामले से संबंधित जांच में कार्यरत रहा है (देखें मोदी, ए टेक्स्टबुक ऑफ मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी, 26 वीं संस्करण। , 2018 , पीपी। 267

271) . इस न्यायालय ने स्वयं मृतक पटू राजन बनाम की पहचान पर भरोसा रखा है।

कई अवसरों पर अधिरोपण के माध्यम से (शंकर और ओआरएस देखें। वी.

तमिलनाडु राज्य, (1994) 4 एस. सी. सी. 478; स्वामी श्रद्धानंद बनाम। कर्नाटक राज्य, (2007) 12 एस. सी. सी. 288; पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु बनाम। जॉन डेविड, (2011) 5 एस. सी. सी. 509; महेश धनाजी शिंदे बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (2014) 4 एस. सी. सी. 292), स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह एक स्वीकार्य राय साक्ष्य है।

35. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि उपरोक्त पैराग्राफ में उद्धृत इस न्यायालय के सभी निर्णय परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित थे, जिसमें शामिल हैं -

अंतिम बार देखी गई परिस्थिति, उद्देश्य, मृतक के व्यक्तिगत सामान की बरामदगी आदि जैसे पहलू, और इसलिए किसी भी मामले में आरोपित के अपराध के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एकमात्र दोषारोपण कारक अधिरोपण तकनीक पर निर्भर नहीं था। वास्तव में, महेश धनाजी शिंदे (ऊपर) में, अदालत को डी. एन. ए. परीक्षण का उल्लेख करने का भी लाभ था, और जॉन डेविड (ऊपर) में, मृतक की पहचान निर्धारित करने के लिए डी. एन. ए. परीक्षण के साथ-साथ दंत परीक्षा का उल्लेख करने का भी लाभ था। यह न्यायालयों के तय किए गए व्यवहार के अनुरूप है, जो अपनी दोषपूर्णता को देखते हुए आम तौर पर एकमात्र दोषपूर्ण परिस्थिति के रूप में राय साक्ष्य पर भरोसा नहीं करते हैं। यह विशेष रूप से अधिरोपण तकनीक के लिए सच है, जिसे अचूक नहीं माना जा सकता है। 36. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करना उचित ठहराया था कि एक अधिरोपण परीक्षण को इस रूप में नहीं लिया जा सकता है

एक मृत शरीर की पहचान के लिए एक निर्णायक, क्योंकि यह अपने आप में निर्णायक रूप से पहचान स्थापित नहीं कर सकता है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर विशेषज्ञ गवाही को सही ढंग से स्वीकार किया क्योंकि तत्काल मामले में, अधिरोपण परीक्षण केवल एक साक्ष्य था जिस पर अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को मजबूत करने के लिए पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए भरोसा किया था।

37. इसके अलावा, पी. डब्ल्यू. 34, डॉ. जयप्रकाश की गवाही से यह स्पष्ट है कि परीक्षण तीन अलग-अलग तरीकों, यानी वीडियो अधिरोपण, दृश्य अवलोकन और दंत विशेषता अधिरोपण का उपयोग करके आयोजित किया गया था, और इस तरह के साक्ष्य की विश्वसनीयता के लिए चुनौतियों के बावजूद, अदालतों ने अपनाई गई कार्यप्रणाली का सावधानीपूर्वक आकलन करने के बाद, शरीर की पहचान के संबंध में पी. डब्ल्यू. 34 द्वारा किए गए निष्कर्ष को स्वीकार किया, और हम अदालतों द्वारा इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई त्रुटि नहीं देखते हैं।

38. इसलिए, हमारी राय है कि पी. डब्ल्यू. 34 के वैज्ञानिक साक्ष्य पर निचली अदालत के साथ-साथ उच्च [2019] 5 एस. सी. आर. द्वारा सही विश्वास किया गया था।

न्यायालय, और शरीर की पहचान के संबंध में पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य को मजबूत करता है। यद्यपि डी. एन. ए. परीक्षण से न्यायालयों को मृतक के शरीर की पहचान की विश्वसनीयता निर्धारित करने में काफी मदद मिलती, लेकिन इस पहलू पर अभियोजन पक्ष के पक्ष में अभिलेख पर अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों की उपस्थिति में, हम इन तथ्यों को अस्वीकार करते हैं - यह तर्क कि डी. एन. ए. परीक्षण का संचालन न करना और अधिरोपण के माध्यम से पहचान के संबंध में साक्ष्य पर निर्भरता अनुचित है। यह और भी अधिक सच है क्योंकि इस प्रभाव के लिए कोई सामग्री सामने नहीं आ रही है कि मृतक के माता-पिता प्रासंगिक अवधि के दौरान जीवित थे, ताकि तुलनात्मक डी. एन. ए. परीक्षण किए जा सकें।

39. इस बात पर जोर देना उल्लेखनीय है कि आरोपी संख्या 6 के कबूलनामे के आधार पर, पीडब्लू 1 की तस्वीर वाले बटुए की बरामदगी,

उसके घर से सोने की चेन आदि लगाई गई थी, जिसे, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पीडब्लू1 और उसके परिवार द्वारा मृतक से संबंधित होने के रूप में भी सकारात्मक रूप से पहचाना गया है।

40. ऊपर चर्चा किए गए गवाहों के साक्ष्य से, यह पर्याप्त है

स्पष्ट करें कि टाइगर-चोल से बरामद शव की पहचान पीडब्लू1 और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा शांतकुमार के रूप में की गई थी, और उसी शव को कब्रिस्तान से निकाला गया था। बयानों से यह स्पष्ट है कि शव की बरामदगी बाघ-चोल से की गई थी

हमारे सुविचारित विचार में, अभियुक्त संख्या 2 के कहने पर मृतक के शरीर की बरामदगी और शरीर की पहचान के रूप में पी. डब्ल्यू. 1, उसके परिवार के साथ-साथ आरोपी द्वारा शांतकुमार की तस्वीर, मृतक के कपड़े और सामान और उसके निशान के आधार पर, सभी उचित संदेह से परे साबित हुआ।

41. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पीडब्लू 1 और 2 का साक्ष्य अंतिम बार देखे गए साक्ष्य से संबंधित परिस्थिति को उचित संदेह से परे साबित करता है। अन्य परिस्थितियों के अलावा। दोनों ने अपने साक्ष्य (विशेष रूप से पीडब्लू1) में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लगातार और स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था, जो आरोपी संख्या 1 के आदेश पर मृतक को ले गया था। कोई स्पष्टीकरण नहीं, पटू राजन बनाम।

तमिलनाडु राज्य

[मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

उनके खिलाफ मजबूत सबूत का खंडन करते हुए Cr.P.C की धारा 313 के तहत अपने बयानों में अभियुक्तों की ओर से कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं आया है। यद्यपि अभियुक्त पर उक्त परिस्थिति की व्याख्या करने का भार स्थानांतरित हो गया था कि उन्होंने मृतक का साथ कब छोड़ा, लेकिन अभियुक्त द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। इसलिए, अभियुक्त के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा इस तरह का गैर-स्पष्टीकरण परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान करता है।

इसके अलावा, यद्यपि श्री सुशील कुमार द्वारा यह तर्क दिया गया था कि पीडब्लू1 द्वारा दी गई अंतिम देखी गई परिस्थिति से संबंधित साक्ष्य को धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज करते समय अभियुक्त के सामने नहीं रखा गया था, लेकिन इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्न संख्या 22 और प्रश्न संख्या 30 विशेष रूप से अंतिम देखी गई स्थिति के साक्ष्य से संबंधित हैं। परिस्थिति, और अभियुक्त संख्या 1 के पास रखा गया। अन्य अपीलार्थियों का भी यही हाल है। धारा 313 के तहत दर्ज अभियुक्तों के बयानों के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि संबंधित प्रश्न

संतकुमार को पी. डब्ल्यू. 1 के साथ कार में <आई. डी. 1 पर ले जाना, सड़े हुए शव का पता लगाना और उसका पोस्टमॉर्टम सभी अभियुक्तों को सौंप दिया गया ताकि वे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में उनके खिलाफ दिखाई देने वाली सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों को पूरी तरह से समझा सकें। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय के कई निर्णयों के माध्यम से यह स्थापित किया गया है कि अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत, यदि साबित हो जाता है, तो सबूत का बोझ आरोपी पर डाल दिया जाता है, जिससे उस पर यह समझाने की जिम्मेदारी आ जाती है कि घटना कैसे हुई और उस पीड़ित के साथ क्या हुआ जिसे आखिरी बार उसके साथ देखा गया था। अभियुक्त की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में विफलता, जैसा कि हाथ में मामला है, या गलत स्पष्टीकरण देने से उसके खिलाफ और उसके अपराध के पक्ष में एक मजबूत धारणा पैदा होगी, और परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान करेगी। (रोहतास कुमार बनाम देखें। हरियाणा राज्य, (2013) 14 एस. सी. सी. 434; त्रिमुख मारौती किरकान बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 एस. सी. सी. 681)।

42. यह भी ध्यान देने योग्य है कि पलानी में एक पेट्रोल पंप की बिल बुक और कैश बुक (अतिरिक्त। पी32), जहाँ टाटा सूमो असर करती है

पंजीकरण सं। टी. एन. 09 क्यू. 1310 (एम. ओ. 3) में ईंधन भरा गया था, उन्हें भी जब्त कर लिया गया था। यह दिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सबूत है कि टाटा सूमो जिसमें आरोपी मृतक के साथ यात्रा कर रहे थे, वास्तव में कोडाइकनाल की ओर गया था, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि पलानी में कोडाइकनाल के रास्ते में एक पेट्रोल पंप से ईंधन भरा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

43. हमारी सुविचारित राय में, उपरोक्त के साथ-साथ पीडब्लू 1 और 2 की भारी, सुसंगत, ठोस और विश्वसनीय गवाही

पुष्टिकारक साक्ष्य, अभियोजन पक्ष के मामले को निर्णायक रूप से साबित करते हैं। हम.

यह दोहराते हुए कि पीडब्लू 1 और 2 उद्देश्य, अंतिम बार देखी गई परिस्थिति, अभियुक्त संख्या 2 के स्वीकारोक्ति के आधार पर शव की बरामदगी और शव की पहचान के बारे में अपनी गवाही में दृढ़ थे। हम इन गवाहों के साक्ष्य में कोई अलंकरण या अतिशयोक्ति नहीं पाते हैं। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों (विशेष रूप से पीडब्ल्यूएस 7,26,27,29,32 और 33) का साक्ष्य सजातीय, सुसंगत और विश्वसनीय है, और पीडब्ल्यू 1 और 2 की गवाही की पुष्टि करता है, जो हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी है और केवल आरोपी के अपराध की ओर इशारा करती है। हमारी सुविचारित राय में, अभियोजन पक्ष ने शांतकुमार की गला घोंटकर हत्या करने और उसके बाद शव को टाइगर-चोल पर फेंकने में सभी अपीलार्थियों की संलिप्तता साबित कर दी है। यह याद रखने योग्य है कि हालांकि यह आवश्यक है कि सभी आपराधिक मामलों में उचित संदेह से परे सबूत पेश किया जाना चाहिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा सबूत सही हो, और कोई व्यक्ति जो दोषी हो।

दंड से मुक्ति केवल इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि मानव प्रक्रियाओं के माध्यम से पेश किए जाने पर सत्य में कुछ दुर्बलता विकसित हो सकती है। पारंपरिक

आपराधिक मुकदमे में न्याय देने के लिए हठधर्मी अति-तकनीकी दृष्टिकोण को एक तर्कसंगत, यथार्थवादी और वास्तविक दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। सबूत के नियम का अतिरंजित पालन करके न्याय को निष्फल नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि संदेह का लाभ हमेशा उचित होना चाहिए और काल्पनिक नहीं होना चाहिए। (इंदर सिंह बनाम देखें। राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1978) 4 एससीसी 161; एच. पी. बनाम राज्य लेख राज और अन्न। , (2000) 1 एस. सी. सी. 247; तखाजी हीराजी बनाम। ठाकुर कुबरसिंग चमनसिंग और अन्य। , (2001) 6 एस. सी. सी. 145; चमन और अन्न। वी. उत्तराखंड राज्य (2016) 12 एस. सी. सी. 76)। 44. अभिलेख पर सम्पूर्ण सामग्री और तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि अभिलेख पर साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से साबित करता है और यह कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर सामग्री का मूल्यांकन अपनी उचित संभावना में किया है।

उनके निष्कर्ष पर आते हुए। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये अपीलें विफल हो जाती हैं और खारिज हो जाती हैं।

देविका गुजराल

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।